उत्तरांचल शासन
न्याय विभाग
संख्या:-234-एक(1)/न्याय अनुभाग/2003
देहरादून:दिनांक: 15 नवम्बर, 2003

कार्यालय ज्ञापन

उच्च न्यायालय में राज्य विधि अधिकारियों की नियुक्ति तथा पदावधि को नियमित करने से सम्बन्धित सामान्य अनुदेश
(विधि परामर्शी निदेशिका का पैरा 4.02, 5.02 तथा 6.02)

इस विषय पर पूर्व में निर्गत समस्त दिशा-निर्देशों को अतिक्रमित करते हुए महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तरांचल उच्च न्यायालय में राज्य के विधि अधिकारियों की नियुक्ति तथा पदावधि को विनियमित करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य अनुदेश जारी करते है :-

1- **परिभाषा :**

मा0 उत्तरांचल उच्च न्यायालय में राज्य के विधि अधिकारी अर्थात् शासकीय अधिवक्ता, अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता, उप-शासकीय अधिवक्ता तथा सहायक शासकीय अधिवक्ता, आपराधिक कार्य के सम्बन्ध में, तथा मुख्य स्थायी अधिवक्ता और स्थायी अधिवक्ता इत्यादि, सिविल कार्य के सम्बन्ध में, वह विधि व्यवसायी हैं जिन्हें शासन द्वारा ऐसे सरकारी मुकदमों के मा0 उत्तरांचल उच्च न्यायालय में संचालन हेतु नियुक्त किया जाता है जो कि शासन द्वारा उन्हें सामान्य या विशेष रुप से सौपे जांय ।

2- **पात्रता :**

विधि व्यवसायी की विधि अधिकारी के रुप में नियुक्ति की योग्यता लोक अभियोजक (शासकीय अधिवक्ता, अपर शासकीय अधिवक्ता, उपशासकीय अधिवक्ता या सहायक शासकीय अधिवक्ता) के मामलें में कम से कम सात वर्ष, मुख्य स्थायी अधिवक्ता या स्थायी अधिवक्ता के मामलें में कम से कम दस वर्ष और वाद धारकों के मामलों में कम से कम पांच वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो ;

परन्तु उन विधि व्यवसायियों के मामले में, जिन्होंने उत्तरांचल उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में अपेक्षित अवधि पूर्ण नहीं की हो, श्री राज्यपाल महोदय आवश्यकतानुसार उपयुक्त मामलों में, उत्तरांचल उच्च न्यायालय सृजित किये जाने से पूर्व जनपद न्यायालयों में किये गये विधि व्यवसाय पर विचार कर सकते हैं ।

3- **नियुक्ति :**

श्री राज्यपाल किसी भी योग्यता प्राप्त विधि व्यवसायी को विधि अधिकारी के रुप में नियुक्त कर सकते है, और ऐसी नियुक्ति करने के पूर्व, यदि उचित समझे, उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश या महाधिवक्ता के विचारों पर विचार कर सकते है । सभी नियुक्तियाँ सरकारी गजट में अधिसूचित की जायेगी । विधि अधिकारियों के शुल्क आदि शासन के सामान्य अथवा विशेष आदेशों द्वारा शासित होगें ।

4- **आयु तथा स्वास्थ्य :**

विधि अधिकारी के रुप में नियुक्ति के लिये कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है, पर नियुक्ति/नवीनीकरण के समय इस बात पर सम्यक ध्यान दिया जायेगा कि वह शारीरिक व मानसिक रुप से स्वस्थ है ।

5- **पदावधि :**

किसी भी विधि व्यवसायी की विधि अधिकारी के रुप में नियुक्ति एक व्यावसायिक नियोजन मात्र है जिसे दोनों पक्षों में से किसी एक की इच्छा पर समाप्त किया जा सकता है और तद्नुसार श्री राज्यपाल के पास यह अधिकार आरक्षित है कि वह बिना कोई कारण बताये किसी भी विधि अधिकारी के नियोजन को किसी भी समय समाप्त कर दें और इस अधिकार के अधीन रहते हुये, विधि अधिकारियों को पहली बार सामान्यतया एक वर्ष की अवधि के लिये नियुक्त किया जायेगा, जिसे एक समय में दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए नवीनीकरण किया जा सकता है ।

आज्ञा से,

(बी० लाल)
सचिव ।

संख्या:-234-एक(1)(1)/न्याय अनुभाग/2003-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महाधिवक्ता, उत्तरांचल, नैनीताल ।
2- महानिबन्धक, मा० उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल ।
3- गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(यू.सी.ध्यानी)
अपर सचिव ।